The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 4 | April 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

महिलाओं की स्थिति एवं संवैधानिक प्रावधान

नलिनी सिहं

शोधार्थिनी एल0एल0एम0, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविघालय; लखनऊ उ0प्र0

डॉ0 पियूष कुमार त्रिवेदी

शोध पर्यवेक्षक सहायक आचार्य, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविघालय, लखनऊ उ0प्र0

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords :
महिलाओं की स्थिति; संवैधानिक प्रावधान, सुधार

ABSTRACT

भारतीय संविधान महिलाओ की स्थिति मे सुधार हेतु प्रावधनाो के सम्बन्धं मे उल्लेख करता है। इस शोध पत्र मे महिलाओ की वैदिक काल से वर्तमान युग की महिलाओ की स्थिति के सम्बन्ध मे उल्लेख किया गया है इस शोध पत्र मे उन जटिलताओ का पता लगाने का प्रयास किया गया है। जिन कारणो से महिलाओ की दुगर्ति थी अथवा स्थिति निम्न थी। इसके अतिरिक्त इस शोध पत्र मे महिलाओ की स्थिति मे सुधार हेतु क्या क्या प्रावधान किये जा सकते है, जिस कारण उनकी स्थिति मे सुधार किया जा सके। ताकि उन्हे एक विशेष स्थान समाज मे वास्तविक रूप से मिल सके न कि सिर्फ शब्दों मे। संवैधानिक प्रावधानों स्वयं अनुभव तथा कुछ अन्यो के अनुभव के साक्ष्यों तथा सामाजिक स्थिति की जाचं एवं अनुभवो तथा साक्ष्यो के आधार पर यह शोध पत्र महिलाओ की स्थिति मे सुधार हेतु प्रयास किया गया है।

शोध प्रश्न

1.क्या 21वी सदी के भारत मे महिलाओं की स्थिति पूर्व से अच्छी है?

2. आधुनिक भारत मे महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए?

शोध समस्या–

पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को संम्मान जनक स्थान दिलाना एक बहुत बडी समस्या

है। अशिक्षा एवं कमजोर आर्थिक स्थिति महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने मे सबसे बडी बाधा है। डीजिटल इडिया के कुप्रभाव सोशल सांईटो पर अश्लील चलचित्र, रीलों ने महिलाओं के संम्मान पर व्यापक प्रभाव डाला है।

अध्ययन का उद्देश्य–

1 महिलाओं की समाजिक, आर्थिक स्थिति के आधार पर महिलाओं को अपने अधिकारो के प्रति जागरूक करना।

2 महिलाओ को अनके सवैधानिक अधिकारो के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

परिकल्पना–

शोध इस परिकल्पना का परीक्षण करता है की संविधान सभा मे हुई बहसो ने महिलाओं के

सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति पारम्परिक दृष्टिकोण मे एक आदर्श बदलाव

को चिन्हित किया है। समय समय पर विधायिका द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु ठोस एवं मजबुत विधायन

का निर्माण किया है।

.कार्यप्रणाली–

इस विषय मे शोध करने के उद्देश्य से अपनाई गई पद्वति पूर्णतः सैद्वान्तिक है। प्राप्त डेटा

विभीन्न वेबसाइडो वेब, किताबो, जर्नल एवं लेखो इत्यादि से लिया गया है।लिए गए डेटा स्त्रोतो को इंगित किया गया है .

.अध्याय– प्रथम

परिचय–

जैसा की हम सभी जानते है कि मनु स्मृति का श्लोक–"**यत्र नार्यस्त पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता**"

महिलाओं कि समाजिक दसा सुधारने मे बहुत लाभकारी सिद्व हुआ है। जिसका तात्पर्य है जहा नारियों

की पूजा अथवा सम्मान होता है वहां देवता निवास करते है तथा जहां जहां पर नारी का सम्मान नही

होता है वहां सब कुछ मिट जाता है।

जब हम वेदों का अध्ययन करते है तो हमे पता चलता है कि वैदिक काल मे स्त्रियों की स्थिति उच्च

कोटि की थी वैदिक काल मे स्त्रियों को पुरूषो के समान ही स्थान प्राप्त था जिसका सबसे बडा

उदाहरण भगवान शिव के अर्द्वनारीश्वर रूप है जो स्त्री और पुरूष की समानता का सबसे बडा प्रतीक हैं

जो यह दर्शाता की स्त्री और पुरूष दोनो समान है। तथा इस सृष्टि मे मात्र एक जीव रूप है वह अकेला

कुछ कर नही सकता।

जब प्रकृति स्त्री पुरूष मे दुर्भावना नही करती वह सबको बराबर सूर्य प्रकाश, हवा, फूलो की सुगंध स्वच्छ भोजन आदि प्रदान करती है तो हम कौन अथवा यह समाज कौन होता है भेदभाव अथवा असमानता करने वाले। शास्त्रो तथा वेदांगनाओ तथा ग्रन्थो मे अनेक महान स्त्री के सम्बन्ध मे उल्लेख किया गया है जैसे रामायण मे सीता जिन्होने पति के लिए सुख रूपी संसार का त्याग किया मां सती जिन्होने पति के संम्मान के लिए खुद को अपने पिता द्वारा किये यज्ञ की अग्नि कुण्ड मे खुद को समाहित कर दिया था। अगर वैदिक काल मे शिक्षा की बात करे तो कुछ स्त्रियों है जो दर्शाते कि उस काल मे स्त्रिया बहुत शिक्षित थी तथा शिक्षा मे भी स्त्री पुरूष मे समानता थी।

कुछ प्रसिद्व स्त्रियो के नाम जैसे– ब्रम्हवादिनी अपाला जिन्होने ऋग्वेद मे श्लोक की रचना की।गार्गी जो महान विद्वान थी जिन्होने याज्ञवल्यक के साथ शास्त्रार्थ किया। मैत्री भी विद्वान थी।इस प्रकार देखा जा सकता है कि वैदिक काल मे महिलाए पुरूष के समान ही थी पुरूष तथा महिला मे भेदभाव न था।

वैदिक काल मे महिलाओ के अधिकार।

1 समान शिक्षा

2 विवाह करने या न करने की स्वतन्त्रता

3 एक गुरूकुल अर्थात समान शिक्षा व्यवस्था

4 स्वयंवर की स्वतन्त्रता

5 दहेज उत्पीडन न था

6 पिता की संम्पत्ति मे अधिकार

दहीया,पुनम दलालः प्राचीन और मध्यकालीन भारत द्वितीय संस्करण 2020

द्विवेदी,प्रो0 पारस नाथः वैदिक साहित्य का इतिहास 2012

अध्याय द्वितीय–

महिला का अर्थ – संस्कृत मे महिला शब्द ''महा'' धातु से उत्पन्न माना गया है जिसका तात्पर्य है पूजा तथा आदर है। इस प्रकार महिला का तात्पर्य पूजनीया अथवा आदरणीया है। इस प्रकार महिलायों को पुरूष के समान स्थिति प्रदान कि गई है।

अध्याय तृतीय

महिलाओं की स्थिति–

वैदिक काल मे महिलाओं की स्थिति– वैदिक काल का कालखण्ड 300 वीसी से 600 वीसी तक मना जाता है। यह काल महिलाओ की स्थिति के लिए सर्वोत्तम युग था। इस काल मे महिला एवं पुरूष के बीच असमानता न थी दोनो एक समान ही थे। सभी क्षेत्रो मे महिलाओं को पुरूषो के समान ही अधिकार प्राप्त थे उस युग मे स्वयंवर की प्रथा थी परिवारिक मामलों मे महिलाओं को पूर्ण स्वतन्त्रता थी। वैदिक काल मे महिला सम्भवतः गैर–आर्य विवाह परिणाम स्वरूप अपमानित हुई। गैर आर्य पत्नियां वैदिक अनुष्ठानों अपरिचित थी। अंततः बेटियों को औपचारिक शिक्षा से वंचित कर दिया गया। लडकियों कि विवाह योग्य आयु घटाकर 8, 10 वर्ष कर दी गई।

मध्यकाल मे महिलाओं की स्थिति –500ई0–1500ई –अगर देखा जाए तो सबसे खराब स्थिति महिलाओं की मध्यकाल मे थी /मध्यकाल अर्थात इस युग मे मुगलो के आक्रमण तथा भारत पर मुगलो की सत्ता स्थापित हुयी जिस कारण से हिन्दू महिलाए सबसे ज्यादा असुरक्षित हुयी। मुगलो के अत्याचारो से बचने के लिए ही बाल विवाह सती प्रथा पर्दा प्रथा कन्याभ्रूण हत्या आदि बेकार मान्यताऐ

प्रचलन मे आयी जिस कारण सें स्त्रियों की शिक्षा एवं स्वतन्त्रता छिन गई तथा उनकी स्थिति और गिर गई मध्यकाल मे महिलाओं की स्थिति दासताओ मे परिवर्तित हो गई।

14वी 15वी सदी मे कुछ सामाजिक स्थिति मे बदलाव प्रारम्भ हुआ इससे महिलाओं को रामानुजाचार्य जी भक्ति अन्दोलन चलाया जिसने महिलाओ को सामाजिक व धार्मिक चैतन्यता प्रदान की। कबीर नानक चैतन्य ने धार्मिक पूजा के अधिकार के लिए प्रयास किये। जिससे धार्मिक स्वतन्त्रता के द्वार खुल गये जिसके फलस्वरूप महिलाओ को कुछ सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। पूर्व के कालो की तुलना मे महिलाओं की स्थिति मध्यकाल मे काफी चिन्तनीय थी

स्वतन्त्रता से पूर्व महिलाओं की स्थिति– पुरूष प्रधान समाज मे महिलाओं की स्थिति वंचित;शोषित थी। महिलाओ पर तमाम तरह से प्रतिबन्ध थे जिनमे जबरन बाल विवाह. पर्दा प्रथा. कन्याभ्रूण हत्या. इत्यादि थे। इसी काल मे समाज सुधारक राजा राममोहन राय. ईश्वरचन्द्र विघासागर. ज्योतिबा फुले ने सामाजिक क्रान्ति को नेतृत्व दिया तथा व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओ के विरूद्व मोर्चा खोल दिया। 1847 मे कलकत्ता मे बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया। इसी समय गर्वरन विलियम बैंटिगं कि सहायता से राजा राम मोहन राय को सती प्रथा समाप्त करने मे सफलता मिली तथा विधवा पुर्नविवाह प्रारम्भ किया गया। पंडित रमाबाई ने महिलाओं की स्वतन्त्रता हेतु आन्दोलन प्रारम्भ किया। तत्समय महारानी लक्ष्मीबाई ने प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान कर अग्रणी भूमिका निभाई। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचन्द्र गांधी जी द्वारा आन्दोलन के फलस्वरूप महिलाओ को पुरूषो के समान अवसर एवं व्यवहार हेतु विधायी अधिनियम लागू किये गये सती प्रथा अधिनियम उन्मूलन 1829; हिन्दू विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1856; बाल प्रतिषेध अधिनियम 1929; सम्पत्ति अधिकार अधिनियम 1937 इत्यादि थे। जिससे कि महिलाओं कि सामाजिक धार्मिक स्थिति मे सुधार हुआ और महिलाओ को सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार प्राप्त हुआ।

दहिया, पूनम दलालः प्राचीन और मध्यकालीन भारत द्वितीय संस्करण 2020

द्विवेदी,प्रो0 पारस नाथः वैदिक साहित्य का इतिहास 2012

स्वतन्त्रता प्राप्ति से वर्तमान तक महिलाओं कि स्थिति– महिलायें सदैव ही अपने अधिकारो के लिये समाज मे संघर्षरत रही है। आजादी के बाद भारत मे महिलाओं की स्थिति मे व्यापक सुधार देखने को मिले है। भारत मे संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनो ने महिलाओं के लिए शिक्षा रोजगार और राजनीति के क्षेत्र मे सुगम अवसर मिले है। अतैव महिलाओं के शोषण मे कमी आयी है। और उन्हे पुरूषो के समान दर्जा दिया गया है। महिला हितो की रक्षा के लिए तमाम कानून बनाये गए है जिनमे हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, इत्यादि है। आर्थिक एवं रोजगार के क्षेत्र मे महिलाओं कि संख्या तेजी से बढी है प्रथम वर्ग की नौकरीयो मे तथा पेशेवर व्यवसायो मे महिलाओ की संख्या मे व्यापक वृद्वि हुई है। भारतीय सशस्त्र बलो मे भी महिलाओ की भर्तिया हुई है। खेल जगत मे भी बेटीयों ने विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित किया है। महिलायें अब अबला न होकर सबला है तथा पुरूषो से आगे आकर प्रत्येक क्षेत्र मे अपना स्थान बनाया है।

अध्याय चतुर्थ–

संवैधानिक प्रावधान – भारत का संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय अपनाने का अधिकार भी देता है ताकि उनके आने वाले संचयी सामाजिक, आर्थिक, शौक्षिक और राजनीतिक नुकसान को दूर किया जा सके। मौलिक अधिकार, दूसरो के बीच कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा सुनिश्चित करते है, धर्म नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है और रोजगार से संबधित मामलो मे सभी नागरिको को अवसर की समानता की गारंटी देता है संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15, (3), 16, 39 (ए), 39 (बी), 39 (सी); और 42 इस संबंध मे विशिष्ट महत्व के है।

संवैधानिक प्रावधानो का अर्थ – संवैधानिक प्रवाधान भारतीय संविधान मे अंतर्निहित सुरक्षा उपायो की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाना है। ये प्रावधान महिलाओं को भेदभाव से बचाने उनकी भलाई को बढावा देने और राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रो में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए है।

अनुच्छेद 14, 15, और 16 **जैसे** मौलिक अधिकार समानता का अधिकार स्थापित करते है और लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाते है जिससे महिलाएं सम्मान के साथ रह सकती है और समान अवसर प्राप्त कर सकती है। अनुच्छेद 39, 42, और 43, नीति निदेशक सिद्वांत आर्थिक न्याय समान वेतन और मातृत्व के दौरान सहायता की वकालत करते है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 (ई) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं कों त्यागने के नैतिक कर्तव्य पर जोर देता है।

भारतीय संविधान में महिलाओ की स्थिति मे सुधार हेतु मौलिक अधिकार और सुरक्षा –

समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के द्वारा महिलाओ सहित सभी नागरिको समानता सुनिश्चित करता है अर्थात कानून के समक्ष सभी को समान सुरक्षा मिलेगी

अनुच्छेद 15 के अनुसार महिला सहित सभी नागरिको को जाति लिंग धर्म जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है।

अनुच्छेद 15 (3) मे संविधान द्वारा स्त्रीयों तथा बच्चो के लिए विशेष उपबंध बनाने पर रोक को प्रतिबंधित करता है।

- पाण्डेय ; डॉ. जयनारायण; भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी दिल्ली ; 41 वाँ संस्करण 2008
- भारतीय संविधान एम.पी.राय .कालेज बुक डिपो जयपुर.1984

अनुच्छेद 16 सभी महिलाओं को सार्वजनिक कार्यो मे समान अवसर प्राप्त होगे

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है।

अनुच्छेद 19 यह अनुच्छेद महिलाओं को स्वतन्त्रता प्रदान करता है जिसमे बोलने की स्वतन्त्रता, भारत के अंदर आने जाने की स्वतन्त्रता, संघ बनाने की स्वतन्त्रता, व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता, निवास करने की स्वतन्त्रता और शान्ति पूर्वक इकळा होने की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद 21 कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी को उसके जीवन और व्यक्गित स्वतन्त्रता से वंचित नही किया जा सकता है।

अनुच्छेद 39 (ए) राज्य को निर्देश देता है की महिला और पुरूष को जीवन यापन हेतु आजीविका का अधिकार सुरक्षित करे।

अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान प्रत्येक महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य को देता है।

अनुच्छेद 243 डी पंचायत चुनाव मे महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था करता है।

अनुच्छेद 325 निर्वाचन नामावली मे महिला पुरूष समान रूप से मतदाता होगे।

महिलाओं के हितो की रक्षा करने वाले कानून–

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 –यह अधिनियम महिलाओं को तलाक और पुर्नविवाह करने का समान अधिकार प्रदान करता है। तथा बहुविवाह; बहुपति प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाता है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956– यह अधिनियम महिलाओं को माता पिता की संम्पति पर अधिकार और दावा प्रदान करता है।

हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956– यह अधिनियम निःसन्तान महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार प्रदान करता हैं तथा तलाकशुदा महिला को पति से भरण पोषण का अधिकार देती हैं।

विशेष विवाह अधिनिम 1954– यह अधिनियम महिलाओ को अंतरजातीय तथा प्रेम विवाह की अनुमति प्रदान करता है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961– यह दहेज को गैरकानूनी घोषित करता है। और महिलाओं को शोषण से मुक्ति प्रदान करता है।

मातृत्व अधिनियम 1961 संशोधित 1995– माताओं के लिए प्रसव से पूर्व तथा बाद तक नियोजित अवकाश लाभ प्रदान करता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976– महिलाओ को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006– यह अधिनियम नाबालिगं लडकीयों के विवाह को निषेधित करता है। बाल विवाह अपराध प्रतिबंधित करती है। तथा महिलाओं को सामाजिक आर्थिक शारीरिक संरक्षण प्रदान करती है।

पाण्डेय ; डॉ. जयनारायण; भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी दिल्ली ; 41 वाँ संस्करण 2008

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनिम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, मातृत्व अधिनियम 1961संशोधित 1995, मातृत्व अधिनियम 1961 संशोधित 1995, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006

भारतीय दण्ड सहिता के तहत पहचाने गए अपराध–

बलात्कार से संम्बधित ममाले धारा 376

अपहरण एवं व्यपहरण के ममाले धारा 363 से 373

दहेज के लिए हत्या, दहेज हत्या या हत्या का प्रयास धारा 302, व 304, (बी)

यातना (मानसिक और शारीरिक) धारा 498,(ए)

शील भंग धारा 354

यौन उत्पीडन धारा 509

अध्याय पंचम

महिलाओं की स्थिति मे सुधार हेतु किये गए कार्य, सम्मेलन और योजनाये – वर्तमान समय मे राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाए बनाई गई है जिन्होने महिलाओ की स्थिति सुधारने मे तथा उन्हे स्वालम्बी बनाने मे सहयोग प्रदान किया गया है। कुछ प्रमुख योजनाये इस प्रकार है–

महिला आयोग का गठन– राज्यो मे राज्य महिला आयोग जो महिलाओं से संम्बधित हैं।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001– द्वारा महिलाओ को सास्कृतिक तथा सिविल सभी क्षेत्रो मे पुरूषो के साथ सम्यता के आधार पर सभी मानवाधिकारो और मौलिक स्वतन्त्रता की विधितः तथा वस्तुतः प्राप्ति । सभी महिलाओ को सरकारी कार्यालयो आदि में समान पहुच इत्यादि।

बेटी बचाओं बेटी पढाओं 2015– लिगं आधारित चयनात्मका मूल्यो को रोकना।

वन स्टाप वन सेंटर– हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानो पर सहायता प्रदान करना।

महिला हेल्पलाइन योजना 2016– हिंसा से प्रभावित महिलाओं को टोल फ्री 24 घंटे दूर संचार सेवा सहायता प्रदान करना।

उज्जवला तस्करी 2016– व्यवसायिक यौन शोषण के लिए महिला तथा बच्चो के तस्करी पर रोक।

महिला पुलिस स्वयंसेवक

महिला ई हाट

महिला शक्ति केन्द्र

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2016

सुकन्या समृद्वि योजना 2015

भारतीय दण्ड सहिता 1860

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013

भारत सरकार योजना चार्ट

समर्थ योजना

सही पोषण देश रोशन योजना

निर्भय योजना

महिलाओं की स्थिति सुधारने में न्यायपालिका की भूमिका –स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात न्यायपालिका ने महिलाओ से संबंधित मामलो में महात्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जिनमे महात्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्वान्त प्रतिपादित किए हैं। प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं–

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997– यह वाद कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन से संबंधित हैं जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रमजीवी महिलाओं के प्रति कार्य स्थान पर होने वाले यौन उत्पीडन को रोकने के लिए विस्तृत मार्ग दर्शक सिंद्वान्त प्रतिपादित किये हैं।

सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 – उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं को पुरूषों की भांति समान कार्य एवं समान वेतन

सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017– वर्षो से मुस्लिम महिलाओं पर थोपी गई प्रथा तलाक ए बिददत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया। तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया।

मैरी राय बनाम केरल राज्य – न्यायालय द्वारा सीरियाई इसाई महिलाओं को अपने पिता की सम्पति मे पुत्रो के समान हक।

सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबिता पुनिया और अन्य–इस मामले मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक रूढिवादीता को तोड कर परिवर्तनकारी संवैधानिकता की शुरूआत की। अदालत ने कहां की सभी महिला सैन्य अधिकारी कमांडिग भूमिकाओ मे नियुक्त होने योग्य हैं और स्थाई कमिशन की हकदार हैं।

बिनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020– न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया गया कि हिन्दू अविभाजित परिवार मे महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हैं और बेटियों को समान सहदायिकी अधिकार मिलेगा।

आरे लियानो फर्नाडीज बनाम गोवाराज्य 2023– इस मामले मे याचिकाकर्ता भविष्य की सेवा से वंचित कर दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय ने पीओएस अधिनियम प्रवर्तन हेतु निर्देश दिए

डा प्रदीप जैन आदि बनाम भारत संघ एवं अन्य 1984– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य हेतु समान वेतन के संबंध मे विस्तृत सिंद्वान्त प्रतिपादित किए।

क्या न्यायपालिका महिलाओं की स्थिति सुधारने में मददगार सिद्व हुयी है?

अगर सामान्य रूप से देखा जाये अथवा संवैधानिक प्रावधानों को देखकर यह कहां जा सकता है कि न्यायपालिका मे समय पर संविधान में कई उपबंध किये है जिस कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।

न्यायपालिका ने नित्य प्रतिदिन नये प्रावधान तथा विधान निर्माण हेतु दिशा– निर्देश कर रही है जो महिलाओं की स्थिति सुधारने तथा उन्हे सुरक्षा प्रदान करने एवं स्वालम्बी बनाने मे मददगार सावित हुये हैं महिलाओं की स्थिति सुधारने एवं उन्हे सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायपालिका अनेक प्रयत्न किये है जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके है जो इस प्रकार हैं।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995, सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017, सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबिता पुनिया और अन्य, आरे लियानो फर्नाडीज बनाम गोवाराज्य 2023,

विशाखा वाद

सवरी माला वाद

निर्भया वाद

दहेज उन्मूलन

समान कार्य के लिए वेतन प्रदीप जैन वाद आदि

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997– जैसा कि हम सभी जानते इस वाद कि द्वारा उच्चतम न्याययालय ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति काम के स्थान पर होने वाले यौन उत्पीडन को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिये थे फिर भी आज बहुत सारी जगहो पर चाहे वह प्राइवेट संस्था या सरकारी आज इस भी यौन उत्पीडन के अनेक मामले दिन प्रतिदिन देखने को मिलते है जिस कारण आज इस स्वतन्त्रत भारत मे भी स्त्रिया खुद को सुरक्षित महसूस नही करती जिस कारण से सरकारी हो या प्राइवेट किसी भी संस्था मे कार्य करने से हिचकती हैं जिसका मुल्याकंन इस बात से किया जा सकता है कि कार्य स्थल पर पुरूषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या कम हैं।

अनुसा दीपक त्यागी बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2002 इस मामले मे संस्थान के कुलपति द्वारा यौन उत्पीडन किया जा रहा था पीडित को सेवा से बर्खास्त करने की धमकी दी जा रही थी।

न्यायपलिका द्वारा महिला उत्पीडन रोकने के लिए प्रभावी निर्णय एवं महत्व पूर्ण दिशानिर्देश दिए हैं किन्तु फिर भी कार्य स्थल पर महिलाओ का उत्पीडन रूक नही रहा हैं। एक आकडें के मुताविक वर्ष 2022 मे महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुडी कुल 30864 शिकायते मिली तो वही वर्ष 2023 मे कुल 28811 शिकायते प्रप्ति हुई। इससे यह स्पष्ट हैं की आज भी महिलाओं की स्थिति दयानीय बनी हुई है न्यायपलिका आज भी महिला उत्पीडन व बलात्कार रोकने मे नही है। कुछ प्रमुख वाद इस प्रकार है–

- रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
- तुकाराम और अन्य बनाम महाराष्ट राज्य
- मुकेश एवं अन्य बनाम एन सी टी और अन्य – निर्भया केस इस मामले मे पीडिता के साथ हुये गैगरेप व बरबरता ने पूरे देश को हिला कर रख दिया जिसके उपरान्त अपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 2013 लाया गया जिसमे की भारतीय दण्ड सहिता मे संसोधन कर महिलाओ से संम्बधित अपराध मामलो मे कठोरतम दण्ड प्रावधानित किये गए।

दहेज से संम्बधित अपराध के मामलो की रोकथाम के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया किन्तु वह दहेज तथा क्रुरता रोकने मे पूर्ण रूप से रोकने मे सक्षम होता तो दहेज व हिंसा मुक्त भारत बन जाता।

अध्याय षष्ठम–

महिलाओं की स्थिति मे सुधार हेतु सुझाव

वर्तमान मे पुरूष प्रधान समाज मे महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है–

- नैतिकता, सभी को अनिवार्य रूप से नैतिक शिक्षा का पाठ पढाया जाए तथा नैतिक मुल्यो का अनुसरण कराया जाए।
- शिक्षा, अपने अधिकारो के प्रति जागरूक करने हेतु तथा शोषण से मुक्ति हेतु महिलाओ को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। जिसका बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान सबसे बडा उदाहरण है।
- कई संविधान समानता और गैर –भेदभाव के सिद्वांत पर जोर देते है; जिसमे स्पष्ट रूप से बया हैं कि पुरूषों और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए
- कई संविधान जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार को मान्यता देते है; और कुछ स्पष्ट रूप से महिलाओ के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को संबोधित करते है; कानूनी सुरक्षा उपाय और उपचार प्रदान करते है।
- अपने देश में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षण करें।
- अन्वेषण करे कि ये प्रावधान समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं
- लैगिंक समानता को बढावा देने मे इन प्रावधानों की प्रभाव शीलता का आकलन करे

- विभिन्न क्षेत्रो मे महिलाओ की भागीदारी को बढाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही नीतिया या आरक्षण की व्यवस्था
- संतुलन बनाने के लिए मातृत्व अवकाश; पारिवारीक अधिकार और बच्चो की देखभाल से संबंधित प्रावधानो को संविधान मे शामिल करना
- लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले संवैधानिक खण्डो का अन्वेषण करे।
- राजनीति मे महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करने वाले संवैधानिक प्रावधानो का विशलेषण करे।
- सरकारी संस्थायो मे महिलाओ के प्रतिनिधित्व की जांच करें।
- महिलाओं के कार्य जीवन संतुलन पर इन प्रावधानों के प्रभाव का आकलन करे ।
- प्रावधानो के प्रवर्तन तन्त्र की जांच करे तथा व्यवहार मे प्रावधान कितने प्रभावी ; मुल्याकंन करे।
- संवैधानिक प्रावधानो के बवजुद महिलाओं के समक्ष चुनौतिया उनका परिक्षण करे ।
- विभिन्न देशों के महिला अधिकार के प्रावधानो की तुलना करे
- महिलाओं के अधिकारो की प्रगति और क्रियान्वयन के उदाहरण पर प्रकाश डाले ।

निष्कर्ष–

भारतीय संविधान महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकारों की गारंटी देता है लेकिन लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक मानदंडों के कारण शक्तिशाली पितृसत्तात्मक परंपराएँ जारी हैं जो आज भी महिलाओं पर लागू होती है। अधिकांश भारतीय घरों में लडकी को बोझ समझा जाता हैं और उसे यह अहसास कराया जाता है कि वह पुरूषों से कमजोर है। ऐतिहासिक कारणों से समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक संभावनाओं के माध्यम से महिलाओं की उन्नति को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय स्तर पर सीमित न रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया हैं। महिला सशक्तिकरण तभी वास्तविक एवं प्रभावी होगा जब उन्हे आय और सम्पात्ति और शिक्षा से आत्मनिर्भर बनाया जाए। आकडों से स्पष्ट है की 66 पुरूषों 39 महिलाये ही शिक्षित हैं शिक्षा का इतना कम प्रतिशत भी महिलाओं के प्रति अत्याचार का कारण है। समतावादी समाज की स्थापना कि जाए जिसमे महिलाओं को शिक्षा व रोजगार के समान अवसर दिए जाए। महिलाओं की प्रगति का मुल्याकन करने के लिए बहु वर्षीय कार्यक्रमों को अपनाया जाए । महिलाओं को दिए गए अधिकारों हेतु बनाये गयें अधिनियमों के बाद महिलाओं की सामाजिक स्थिति मे पर्याप्त अंतर आया हैं फिर भी बहुत सारी कमिया हैं जिनकी वजह से कानूनों का लाभ नही ले पाती हैं । कई मामलो में महिलाये रिपोर्ट नही दर्ज करा पातीं। देश मे आधी मतदाता संख्या होने के बावजूद लोक सभा तथा राज्यविधान मंण्डलों मे उनका प्रतिनिधित्व घोर निराशा जनक हैं। अतः राजनीति मे भी महिलाओं को अपनी भागेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सुची –

- पाण्डेय ; डॉ. जयनारायण; भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी दिल्ली ; 41 वाँ संस्करण 2008
- भारतीय संविधान एम.पी.राय .कालेज बुक डिपो जयपुर.1984
- कटियार श्रद्वा(2005) समेकित बाल विकास योजना मूल्याकन सीरियल पब्लिकेशन नई दिल्ली।
- एम.पी.सिंह (2006) नारीशक्तिकरण,ग्रन्थ, पब्लिकेशन, हाउस जयपुर
- सिंह दिव्या (2007) महिला विकास कार्यक्रम, ला के प्रशासन विभाग लखनऊ विश्वविघालय
- शर्मा एवं मिश्रा (2016) मानवाधिकार सिद्वान्त एवं व्यवहार, बुक डिपो (जयपुर)
- आईओएसआर जर्नल आफ बिजनेस एडं मैनेजमेंट– भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर एक अध्ययन –डा. (श्रीमती) राजेक्ष्वरी एम. शेट्टार द्वारा
- प्दकपंबमसइतंजपदह.बवउ– महिला सशक्तिकरण पर लेख – परिवर्तन की बयार
- टाइम्स आफ इंडिया – वुमन अप की संस्थापक, क्यूरेटर और निर्माता मीता कपूर द्वारा! बैठक
- कानूनी सेवा भारत–महिला सशक्तिकरणः संवैधानिक प्रावधानों के विशेष संदर्भ में –अनिकेत्सएमएल द्वारा
- आहुजा राम, क्राईम अगेनस्ट वुमेन, जयपुर रावत पब्लिकेशन्स, 1987
- महिलाओं से संबाधित विभ्भिन्ना समाचार पत्रों के आलेख।
- भारत सरकार 1951, संसदीय बहस, सातवीं, भाग दो, हिन्दू कोड बिल पर बहस, 5 फरवरी– 2 मार्च1951
- भारत सरकार योजना चार्ट
- आपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 2013
- अम्बेडकर,बीआर 1927 महिला संम्मेलन भाषण नागपुर
- गगोली, जी 2016 भारतीय नारी वादः कानून, पितृसत्ता और भारत मे हिंसा
- वर्मा अंजली 2018 प्रारम्भिक मध्यकालीन भारत मे महिलाये और समाजः एक लेख।
- कपूर,डा. राधिका महिलाओं की स्थिति पर लेख। इस्टोको.कॉम
- http: shodhnga.inflibnet.ac.in.bitstream 4 jan2019
- gubrely .Anshika blog.ipleaders.in
- दहीया,पुनम दलालः प्राचीन और मध्यकालीन भारत द्वितीय संस्करण 2020
- द्विवेदी,प्रो0 पारस नाथः वैदिक साहित्य का इतिहास 2012